राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 10(2)ग्रावि/नरेगा/संस्था/ 2015 जयपुर दिनांकः 25 JUN 2019

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सिक्योर (SECURE) सॉफ्ट के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – समसंख्यक पत्रांक दिनांक 25.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत SECURE Soft को दिनांक 24.03.2019 से राज्य में Live कर दिया गया है। जिसके माध्यम से तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां online जारी की जा रही है। SECURE Soft के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर/ राज्य स्तर पर समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाकर सम्बन्धित को प्रशिक्षण भी दिये जा चुके है। दिनांक 25.04.2019 के द्वारा मार्गदर्शिका जारी कर दिनांक 13.05.2019 को राज्य स्तर पर अभियन्ता/एमआईएस मैनेजरों को विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इसके उपरान्त अभियन्ताओं द्वारा तकमीना तैयार कर जिला स्तर पर परीक्षण किया जाकर तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जा रही है।

राज्य स्तर पर SECURE Soft पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करने पर निम्न मुख्य बिन्दु ध्यान में आये, जो विभागीय निर्देशों के अनुरुप नही है।

1. कार्य का नाम – कुछ कार्यों का नाम नरेगा सॉफ्ट में त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य के सम्पूर्ण नाम के साथ–साथ ग्राम का नाम भी अंकित किया जाना चाहिए। जो नहीं किया जा रहा है। जैसे –

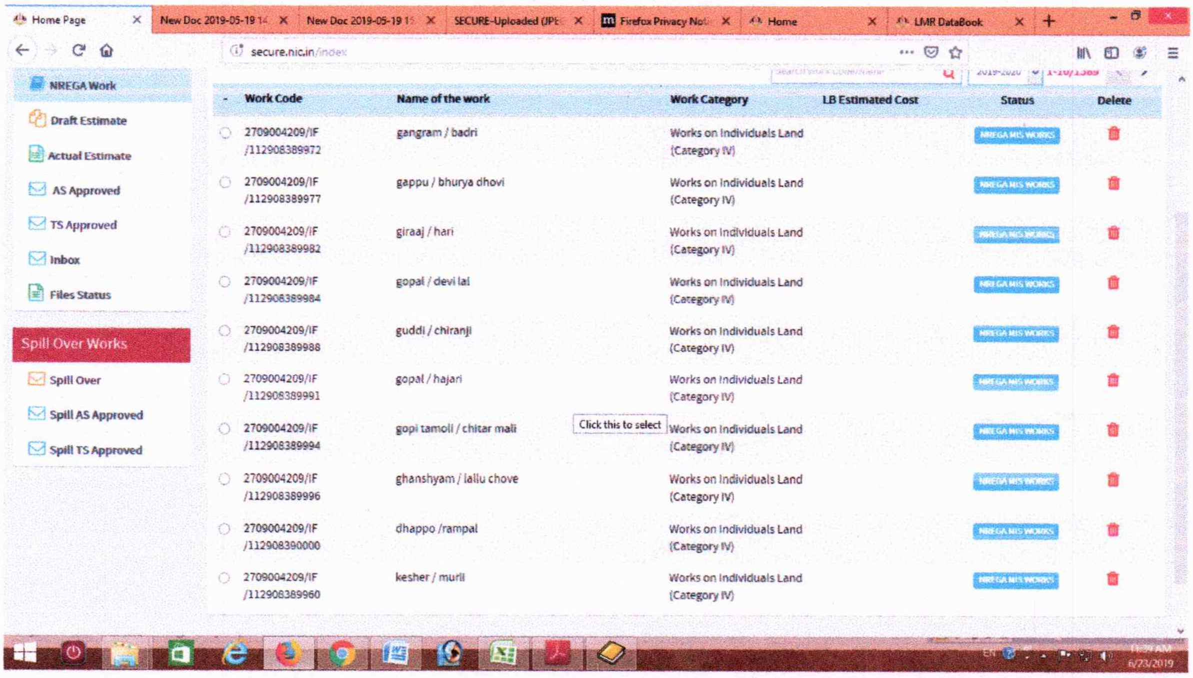

Work Code	Name of the work	Work Category	LB Estimated Cost	Status	Delete
2709004209/IF/112908389972	gangram / badri	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389977	gappu / bhurya dhovi	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389982	giraaj / hari	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389984	gopal / devi lal	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389988	guddi / chiranji	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389991	gopal / hajari	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389994	gopi tamoli / chitar mali	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389996	ghanshyam / lallu chove	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908390000	dhappo /rampal	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	
2709004209/IF/112908389960	kesher / murli	Works on Individuals Land (Category IV)		NREGA MIS WORKS	

उक्त चित्र में कार्यों के नाम में केवल लाभार्थी/पिता–पति का नाम दर्शाया गया है। जो उचित नहीं है।

2. Estimate Report – Secure Soft में Project Details के पार्ट 2 (Details – 2) में विभागीय निर्देशों के अनुरुप प्रत्येक कार्य की एस्टीमेट रिपोर्ट तैयार कर अंकित की जानी चाहिए थी, परन्तु अधिकतर कार्यों में इसकी पालना नहीं की जा रही है। एवं Irrelevent note अंकित किया जा रहा है। जबकि यह कार्य से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें कार्य के मानक, उपयोगिता, वर्तमान स्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में टिप्पणी होनी चाहिए।

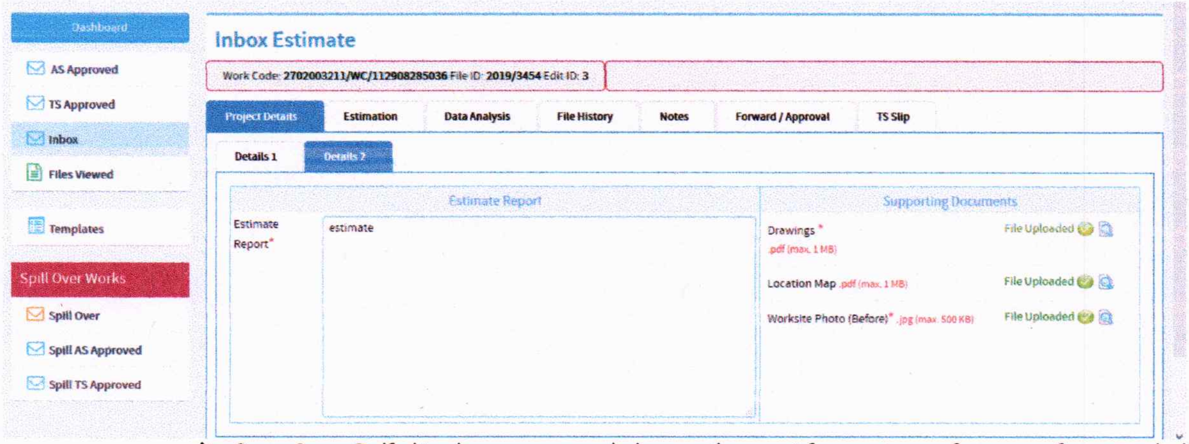

3. Details 2 में विभागीय निर्देशों के अनुसार लोकेशन मैप, ड्राइंग एवं कार्य का पूर्व का फोटो अपलोड किया जाना था। परन्तु कतिपय कार्यों में इनके अलावा कुछ भी अपलोड किया जाकर तकनीकी स्वीकृति जारी की जा रही है। जो उचित नहीं है। प्रत्येक कार्य के साथ सही लोकेशन मैप, कार्य की ड्राइंग एवं कार्य शुरु होने से पूर्व की स्थिति का फोटो अपलोड किया जावे।

4. तकनीकी स्वीकृतियां रिवर्ट किया जाना – साफ्टवेयर के विश्लेषण करने पर पाया गया कि जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जाकर विकास अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने हेतु Forward किया जा चुका है। उन कार्यों को भी जिला स्तर से बार– बार रिवर्ट किया जा रहा है। जो उचित नहीं है। अगर किसी कार्य के तकमीने में किसी भी प्रकार की त्रुटि/ आवश्यक दस्तावेजों की कमी/ किसी भी भाग को जोड़ना–घटाना इत्यादि किया जाना है तो जिला स्तर द्वारा एक बार में ही नोट लगाया जाकर रिवर्ट किया जावें। तथा ब्लॉक स्तर से भी एक बार में ही आक्षेपों की पूर्ति करवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। विकास अधिकारी स्तर से Forward किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु Forward किया जा रहा है। ताकि अनावश्यक आक्षेप/ विलम्ब से बचा जा सके।

5. कार्यों की कैटेगरी गलत फीड करना – नरेगा सॉफ्ट में कार्यों को फीड करते समय कार्य की केटेगरी एव सब केटेगरी को भी गलत फीड किया जा रहा है। जिससे कार्य जिस प्रकृति का है उस प्रकृति में न जाकर अन्य प्रकृति में जा रहा है। जैसे –

उक्त गोले में प्रदर्शिक कार्य जोहड चारदीवारी मरम्मत पक्का करना व घाट निमार्ण 30 एसएसडब्ल्यू Rural Sanitation में प्रदर्शित हो रहा है। जबकि उक्त कार्य NRM प्रकृति को होने के कारण Water Harwesting कैटेगरी में आना चाहिए।

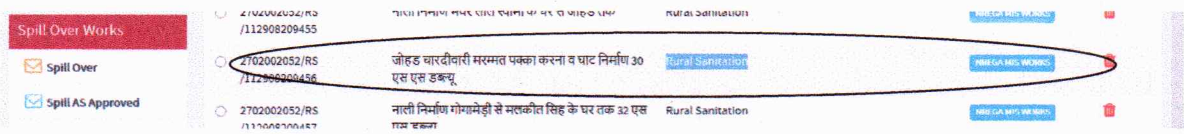

ऐसे कार्यों को सही करने के लिए विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 00470 दिनांक 18 एवं 21 जून 2019 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। कृपया उक्त कार्यवाही एकबारीय कराकर NREGA Soft पर Data Correct करा लिया जावे।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि SECURE Soft पर बार – बार LMR/SOR/BSR जेनरेट कर अपलोड कराई जा रही है। जबकि वित्तीय वर्ष में जिला स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा सामान्यतया एक बार ही दरें अनुमोदित की जा रही है। अतः जिला स्तर पर एक बार में ही LMR/SOR/BSR को अपलोड करने से पूर्व भली प्रकार से जॉच कर लिया जावे, कि जो Rates, LMR में भरी गई है वे सही है। अपलोड करने के उपरान्त SECURE Soft के Public Domain में उक्त LMR से तैयार SoR को चैक कर लिया जावे।

पूर्व में तैयार किये गये तकमीने में अगर कोई Specification सुर्ख लाल रंग में दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि उक्त Specification को तकमीने में प्रयोग में नहीं लेना है। उसके स्थान पर तैयार किया गया Specification प्रयोग में लिया जावेगा। उदाहरणार्थ – Specification no. 73.134.1 के स्थान पर 73.134.1A को प्रयोग में लिया जावे।

(ऐसे Specification निम्न है– (73).100A,101A,102A,106.1A,109A,134.1A,136.3A,136.6A,143A, 146.1A,146.2A,180.5A,185.1A,185.2A,185.3A,185.4A,185.5A,185.9A,186.10A,186.11A,186.5, 186.6A, 186.7A, 186.8A,186.9A,188.2A,189.11A and 134B Etc.)

अतः जिला स्तर पर Secure Soft की लगातार समीक्षा की जावे, तथा निर्देशित किया जावे कि तकमीना तैयार करते समय तकमीना से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों / कार्यवाही की पूर्ति की जाकर ही ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों हेतु तकमीना भिजवाया जावे। साथ ही यह भी जानकारी की जावे कि तकनीकी स्वीकृतियों को बार – बार जानबूझ कर रिवर्ट तो नहीं किया जा रहा ।

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
4. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
5. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
6. एमआईएस सैल में भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस